"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी 2016— माघ 20, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 1371/डी. 42/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 08-04-2015 को राज्यपाल एवं दिनाँक 28-01-2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015

विषय सूची

खण्ड **विशिष्टियां**

अध्याय-एक
प्रारंभिक

अध्याय-दो
विशेष न्यायालयों की स्थापना

अध्याय-तीन
संपत्ति का अभिग्रहण एवं कुर्की

अध्याय-चार
संपत्ति का अधिहरण

16. संपत्ति का अधिहरण.

17. अधिहरण की सूचना.

18. कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण.

19. प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.

20. कब्जा लेने की शक्ति.

21. अधिहृत धन या संपत्ति की वापसी.

अध्याय-पांच
प्रकीर्ण

22. विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना.

23. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.

24. अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.

25. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

26. नियम बनाने की शक्ति.

27. अध्यारोही प्रभाव.

28. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण हेतु और भ्रष्ट आचरण करते हुए लोक सेवकों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के अधिहरण हेतु विशेष न्यायालयों के गठन के लिये और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49);

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 16 एवं 17 के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जो सत्र न्यायाधीश अथवा अपर सत्र न्यायाधीश की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा;

(ग) "संहिता" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

(घ) किसी अपराध के संबंध में "घोषणा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा;

(ङ) "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" से अभिप्रेत है लोक सेवक के आय के ज्ञात स्त्रोतों की अनुपातहीन पाई गई संपत्ति तथा इसमें उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण की गई चल एवं अचल संपत्ति भी सम्मिलित है;

(च) "जांच अभिकरण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच के लिये प्राधिकृत व्यक्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 17 के अधीन यथा उपबंधित अनुरूप होगा अथवा राज्य शासन द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य अभिकरण;

(छ) "अपराध" से अभिप्रेत है आपराधिक अवचार का ऐसा अपराध, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के प्रयोग को, या तो स्वतंत्र रूप से या उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों अथवा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य अधिनियम के अधीन अपराध के साथ संयुक्त रूप से आकृष्ट करता हो;

(ज) "प्रभावित व्यक्ति" से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 16 के आवेदन अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(झ) "संपत्ति" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है चल अथवा अचल संपत्ति में कोई हित;

(ञ) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय;

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उनके लिये क्रमश: समनुदेशित है.

अध्याय-दो
विशेष न्यायालयों की स्थापना

3. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी संख्या में, जैसा कि आवश्यक हो, न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा. विशेष न्यायालय की स्थापना.

(2) विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायाधीश होगा.

(3) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिये अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो.

4. विशेष न्यायालय, ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संस्थित किए जाएं या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं. विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान.

5. (1) जहां राज्य सरकार का, जांच अभिकरण द्वारा उसको उपलब्ध कराई गई प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण हो कि अपराध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है जो लोक पद धारण कर चुका हो अथवा धारण कर रहा हो और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवक हो या रहा चुका हो, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कि उसका उपरोक्त विश्वास हो, उस आशय की घोषणा करेगी. इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा.

(2) ऐसी घोषणा को, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

6. (1) संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 5 के अधीन ऐसी घोषणा किये जाने पर, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन, किसी विशेष न्यायालय के समक्ष ही संस्थित किया जायेगा. घोषणा का प्रभाव.

(2) जहां धारा 5 के अधीन की गई कोई घोषणा, किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका है तथा इससे संबंधित कार्यवाहियां, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियां, इस अधिनियम के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय को, इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अपराध के विचारण के लिये, अन्तरित हो जाएंगी.

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसी घोषणा किये जाने पर, ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट संपत्ति को, इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन जांच अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, अभिग्रहित या कुर्क की जायेगी.

7. विशेष न्यायालय को किसी ऐसी व्यक्ति द्वारा, जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई हो, मुख्य आरोपी, षडयंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में कथित रूप से कारित किया गया अपराध के विचारण करने की अधिकारिता होगी और उन समस्त व्यक्तियों का विचारण, संहिता के अनुसार एक ही विचारण में उनके साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है. अपराधों के विचारण के संबंध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता.

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.

8. (1) ऐसे मामलों के विचारण में, विशेष न्यायालय, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा.

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, संहिता और अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति, लोक अभियोजक समझे जाएंगे.

(3) विशेष न्यायालय, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के दण्ड के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित कर सकेगा.

विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील.

9. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध अपील, उच्च न्यायालय को होगी.

(2) उपरोक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगी.

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु उच्च न्यायालय, तीस दिवस की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी, अपील ग्रहण कर सकेगा यदि लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था.

मामलों का अंतरण.

10. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के होते हुए भी, उच्च न्यायालय, मामले को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकेगा.

विचारण को स्थगित करने के लिये विशेष न्यायालय का आबद्ध न होना.

11. (1) कोई विशेष न्यायालय, किसी विचारण को किसी भी प्रयोजन के लिये तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगन, उसकी राय में, न्याय के हित में तथा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आवश्यक न हो.

(2) विशेष न्यायालय, मामले के विचारण को, इसके संस्थित किए जाने अथवा अन्तरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निराकृत करने का प्रयास करेगा.

अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही किया जाना.

12. विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश, अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित अथवा पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा.

अध्याय-तीन

संपत्ति का अभिग्रहण एवं कुर्की

अभिग्रहण एवं कुर्की.

13. (1) जहां कोई जांच अभिकरण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन जांच या अन्वेषण संचालित करता है और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, छिपाये जाने, अंतरित किये जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किये जाने की संभावना है, जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा, वहां ऐसा अधिकारी, जो ऐसे अभिकरण के पुलिस उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, उस संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां ऐसा अधिकारी, कुर्की का आदेश यह निर्देश देते हुये कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति, ऐसा आदेश

करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अंतरित नही की जायेगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जायेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जायेगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश की, उसके किये जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है.

14. जहां इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन आदेश अथवा धारा 17 के अधीन सूचना जारी किए जाने के पश्चात्, उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट किसी संपत्ति को, किसी भी तरीके से, अंतरित किया जाता हो, वहां इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये, ऐसे अंतरण पर, ध्यान नहीं दिया जायेगा और यदि ऐसी संपत्ति, बाद में, धारा 18 के अधीन राज्य सरकार को अधिहृत हो जाते हों तो ऐसी संपत्ति का अंतरण आरंभ से शून्य समझा जायेगा. — कतिपय अंतरणों का अकृत और शून्य होना.

15. (1) विशेष न्यायालय, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिये, उस क्षेत्र, जहां संपत्ति स्थित है, के जिला मजिस्ट्रेट को, या अन्य किसी अधिकारी को, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाये, नियुक्त कर सकेगा. — अभिग्रहित या अधिहृत संपत्ति का प्रबंध.

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, उस संपत्ति को, जिसके संबंध में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा.

(3) प्रशासक, इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार को अधिहृत संपत्ति के व्ययन के लिये, ऐसे उपाय करेगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे :

परन्तु यह कि यदि संपत्ति, अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति के आधिपत्य में है तो इस अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन यथा उपबंधित सीमित अवधि के लिये, उसके कब्जे की अनुमति दे सकेगा.

अध्याय-चार
संपत्ति का अधिहरण

16. (1) जहां राज्य सरकार को, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किया है जो लोक सेवक का पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो और जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार, भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या न लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन एवं अन्य संपत्ति, जिसके बारे में राज्य सरकार को यह विश्वास हो कि उस व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से उपाप्त की है, के अधिहरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिये, लोक अभियोजक को, प्राधिकृत कर सकेगी. — संपत्ति का अधिहरण.

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन में-

(क) एक या अधिक शपथपत्र संलग्न होंगे जिनमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध कारित किया है तथा उस धन की उस रकम और अन्य संपत्ति के प्राक्कलित मूल्य का उल्लेख होगा जिसके बारे में यह विश्वास किया गया हो कि वह अपराध के माध्यम से उपाप्त की गई है; और

(ख) ऐसे किसी धन एवं अन्य संपत्ति की तत्समय की अवस्थिति के संबंध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो, इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएंगी.

17. (1) धारा 16 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति पर, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, एक सूचना तामील करेगा, जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सामान्यतया तीस दिवस से कम का नहीं होगा, उसकी — अधिहरण की सूचना.

उस आय, उपार्जन या आस्तियों का स्त्रोत, जिससे या जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता हो तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने तथा यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन या संपत्ति अथवा दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए घोषित कर दिए जाएं और राज्य सरकार द्वारा अधिहृत कर लिए जाएं.

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में, किसी धन या संपत्ति या दोनों को, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिर्देश हो वहां सूचना की एक प्रति, ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी.

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियों का, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा, विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसा खण्डन, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्यायनिर्णयन के विचारण तक ही सीमित होगा.

कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण.

18. (1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 17 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और प्रभावित व्यक्ति को, (और उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना में विनिर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति धारण करता हो, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी), सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है.

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, किन्तु ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टत: चिन्हित करने में समर्थ न होता हो तो प्राधिकृत अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों, जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, विनिर्दिष्ट करें और उप-धारा (1) के अधीन तद्नुसार निष्कर्ष अभिलिखित करें.

(3) जहां प्राधिकृत अधिकारी, इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं वहां वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, राज्य सरकार को अधिहृत माने जाएंगे :

परंतु यदि अधिहृत संपत्ति का बाजार मूल्य, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया गया हो तो संपत्ति अधिहृत नहीं की जाएगी.

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी या कोई अन्य इकाई (संस्था) का कोई शेयर, राज्य सरकार को अधिहृत माना जाता है तो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) अथवा कम्पनी या ऐसी इकाई (संस्था) के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी, तत्काल, राज्य सरकार को ऐसे शेयर के अंतरिती के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी.

(5) इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से छ: मास की कालावधि के भीतर निराकृत की जाएगी.

(6) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, अपील यदि कोई हो, में पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए, धारा 19 के अधीन अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.

19. (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिस पर अपीलीय आदेश पारित किया गया था, तीस दिवस के भीतर, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा.

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत किये जाने पर, उच्च न्यायालय, ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

(3) उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील, उसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छ: मास की कालावधि के भीतर, अधिमान्यता देते हुए, निपटाई जाएगी और स्थगन आदेश, यदि कोई हो, अपील में पारित किया जाता है तो अपील के निपटारे की उक्त विहित कालावधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा.

कब्जा लेने की शक्ति.

20. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति या दोनों, राज्य सरकार को अधिहृत हो गए हों वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हों, आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के तीस दिवस की कालावधि के भीतर, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे :

परंतु प्राधिकृत अधिकारी, इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा यह समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति, प्रश्नगत संपत्ति में निवास कर रहा है, को उससे तत्काल बेदखल करने के बदले में, ऐसे व्यक्ति को चार माह से अनधिक की सीमित कालावधि तक के लिये राज्य सरकार को बाजार दर का भुगतान करने पर, उसका कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का खाली कब्जा सौंप देगा.

(2) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में विफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी, संपत्ति को कब्जे में ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिये, ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक हो.

(3) उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन हेतु, सहायता के लिये, किसी पुलिस अधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना ऐसे अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा.

अधिहृत धन या संपत्ति की वापसी.

21. जहां धारा 18 के अधीन किया गया अधिहरण का आदेश, अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां धन या संपत्ति या दोनों, प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे और यदि किसी कारण से संपत्ति वापस करना संभव न हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिहृत धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान, अधिहरण की तारीख से उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट (रेपो दर) से प्रति वर्ष परिगणित ब्याज सहित, किया जाएगा.

अध्याय-पांच
प्रकीर्ण

विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना.

22. इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई घोषणा और पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी संपत्ति या व्यक्ति, ऐसे उल्लिखित विवरण से पहचाने जाने योग्य है.

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.

23. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, उसके अल्पीकरण में नहीं और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी लोक सेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अलावा संस्थित की जा सकती हो, विवर्जित नहीं करेगी.

अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.

24. धारा 9 और धारा 19 में यथा उपबंधित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन अभिग्रहित या कुर्क तथा धारा 18 के अधीन अधिहृत किए जाने के लिये आदेशित किसी धन या संपत्ति या दोनों के संबंध में, किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, संस्थित नहीं की जा सकेगी.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.	25.	इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.
नियम बनाने की शक्ति.	26.	(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम, यदि कोई हो, बना सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे जाएं.
		(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा.
अध्यारोही प्रभाव.	27.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, किसी असंगति की दशा में अभिभावी होंगे.
कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.	28.	यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई का निराकरण कर सकेगी :
		परंतु कोई ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 1371/डी. 42/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-2-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2016)

CHHATTISGARH SPECIAL COURTS ACT, 2015

INDEX

CHAPTER - V
MISCELLANEOUS

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2016)

CHHATTISGARH SPECIAL COURTS ACT, 2015

An Act to provide for the constitution of Special Courts for the Speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties acqiured by public servants using corrupt practices and for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

CHAPTER - I
PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Special Courts Act, 2015. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,- **Definitions.**

(a) "Act" means the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988);

(b) "Authorised Officer" means for the purpose of Section 16 and 17, Presiding Officer of the Special Court who shall not be below the rank of Session Judge or Additional Session Judge;

(c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(d) "Declaration" in relation to an offence means a declaration made by the State Government under Section 5 of this Act;

(e) "Illegally Acquired Property" means property found disproportionate to the public servant's known source of income and shall include movable and immovable property held by any other person on his behalf;

(f) "Investigation Agency" means person authorised to investigate an offence under this Act and shall be same as provided under Section 17 of the Prevention of the Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) or any other agency empowered by the State Government in this behalf;

(g) "Offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) either independently or in combination with other provisions of said Act or offence under Indian Penal Code (45 of 1860) or any other Act;

(h) "Person affected" means a person in respect of whom application has been filed under Section 16;

(i) "Property" means and includes any interest in property movable or immovable;

(j) "Special Court" means a Special Court established under Section 3 of this Act.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Prevention of the Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER - II
ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS

Establishment of Special Courts.

3. (1) The State Government by notification, shall establish, for the purpose of speedy trial of offences under this Act, as many courts as may be necessary, to be called as Special Courts.

(2) Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the High Court.

(3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of the Chhattisgarh Higher Judicial Service.

Cognizance of cases by Special Court.

4. Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under Section 10.

Declaration of cases to be delt with under this Act.

5. (1) When the State Government, on the basis of prima-facie evidence made available to it by the investigation agency, have reason to believe that an offence has been committed by a person, who held or is holding public office and is or has been a public servant within the meaning of clause (c) of Section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) in the State of Chhattisgarh, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid belief.

(2) Such declaration shall not be called in question in any Court of Law.

Effect of declaration.

6. (1) Notwithstanding anything contained in the Code or any other law for the time being in force, on such declaration being made under Section 5, any prosecution in respect of such offence shall be instituted only before a Special Court.

(2) Where any declaration made under Section 5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, shall stand transferred to the Special Court established under this Act for trial of the offence in accordance with the provisions herein contained.

(3) On such declaration being made by the State Government, the property specified in such declaration shall be seized or attached, as the case may be, by the investigation agency under Section 13 of this Act.

Jurisdiction of Special Court as to trial of offences.

7. A Special Court shall have jurisdiction to try offence alleged to have been committed by any person in respect of whom a declaration has been made under Section 5, either as principal, conspirator or abettor and all of them can be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code.

Procedure and powers of Spelial Court.

8. (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and of the Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the person conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) A Special Court may pass, upon conviction of any person by it, any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

Appeal against orders of Special Court.

9. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the High Court.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any court from any judgment, sentence or order of a Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgment and sentence of a Special Court :

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

Transfer of cases.

10. Notwithstanding any other provisions of this Act, the High Court may transfer cases from one Special Court to another.

Special Court not bound to a adjourn trial.

11. (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of justice and for reasons to be recorded in writing.

(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institution or transfer.

Presiding Judge may act on evidence recorded by his predecessor.

12. A Judge of a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by himself.

CHAPTER - III
SEIZURE AND ATTACHMENT OF PROPERTY

Seizure and attachment.

13. (1) Where any investigation agency is conducting an inquiry or investigation under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police of such agency may make an order for seizing such property and where it is not practical to seize such property, such officer may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.

(2) Any order made under sub-section (1) shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the Special Court, within a period of thirty days of its being made.

Certain transfers to be null and void.

14. Where after the making of an order under Section 13 or the issue of a notice under Section 17 of this Act, any property referred to in the said order or notice, is transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Chapter, be ignored and if such property is subsequently confiscated to the State Government under Section 18 then the transfer of such property shall be deemed to be void ab initio.

Management of properties seized or confiscated.

15. (1) The Special Court may appoint the District Magistrate of the area where the property is situated, or any other officer who may be nominated by the District Magistrate, to perform the functions of an administrator of such property.

(2) The Administrator appointed under sub-section (1) shall receive and manage the property in relation to which the order has been made in such manner and subject to such conditions as may be specified by General or special order issued by the State Government.

(3) The Administrator shall also take such measures, as the State Government may direct, to dispose of the property, which is confiscated to the State Government under Section 18 of this Act :

Provided that any person other than the accused if in possession of the property may be permitted to occupy it for the limited period as provided under proviso to sub-section (1) of Section 20 of this Act.

CHAPTER - IV
CONFISCATION OF PROPERTY

Confiscation of property.

16. (1) Where the State Government, on the basis of prima facie evidence, have reasons to believe that any person, who held or is holding public office and is or has been a public servant, has committed an offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public prosecutor for making an application to the Authorised Officer for confiscation under this Act of the money and other property, which the State Government belive the said person to have procured by means of the offence.

(2) An application under sub-section (1)-

(a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and

(b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.

Notice for confiscation.

17. (1) Upon receipt of an application made under Section 16, the Authorised Officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made calling upon him within such time as may be specifed in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government.

(2) Where a notice, under sub-section (1) to any person, specified any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the Authorised Officer, by the person affected or the State Government shall be open to rebuttal in the trial before the Special Court :

Provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the Special Court under this Act.

Confiscation of property in certain cases.

18. (1) The Authorised Officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under Section 17 and the materials available before him, and after giving to the person affected (and in case where the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally.

(2) Where the Authorised Officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offence, but is not able to identify specifically such money or property, then it shall be lawful for the Authorised Officer to specify the money or property or both which to the best of his judgment, have been acquired by means of the offence and record a finding accordingly under sub-section (1).

(3) Where the Authorised Officer records a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand confiscated to the State Government free from all encumbrances :

Provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the Authorised Officer, the property shall not be confiscated.

(4) Where any share in a Company or any other entity stands confiscated to the State Government under this Act, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013), or the Articles of Association of the Company or such entity, forthwith register the State Government as the transferee of such share.

(5) Every proceeding for confiscation of money or property or both under this Chapter shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub section (1) of Section 17.

(6) The order for confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under Section 19 be final and shall not be called in question in any Court of law.

Appeal against the order of the Authorised Officer.

19. (1) Any person aggrieved by any order of the Authorised Officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.

(2) High Court, on receiving an appeal under this Section and after giving opportunity of being heard to such parties as it thinks proper, may pass such order as it thinks fit.

(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the said prescribed period of disposal of appeal.

Power to take possession.

20. (1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the Authorised Officer concerned shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the Authorised Officer concerned or to any person duly authorised by him in this behalf, within a period of thirty days of the service of the order :

Provided that the Authorized Officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period not exceeding four months on payment of market rent to the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the Authorised Officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Authorised Officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section (1), requisition the service of any Police Officer to assist and it shall be the mandatory duty of such officer to comply with such requisition.

Refund of confiscated money or property.

21. Where an order of confiscation made under Section 18 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the Repo rate of Reserve Bank of India per annum thereon calculated from the date of confiscation.

CHAPTER - V
MISCELLANEOUS

Notice or order not be invalid for error in description.

22. No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from such description so mentioned.

Act to be in addition to any other law.

23. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him.

Bar to other proceedings.

24. Save as provided in Section 9 and 19 and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be seized or attached under Section 13 and confiscated under Section 18.

Protection of action taken in good faith.

25. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act.

26. (1) The State Government may, by notification, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act. **Power to make rules.**

(2) Every rul emade under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. Notwithstanding anything contained in the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail in case of any inconsistency. **Overriding effect.**

28. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty : **Power to remove difficulties.**

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.